कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.06.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 02, थाना मनकापुर पुलिस ने 01, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 01.06.2023

दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-126/2023, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता शाकरून निशा को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्ता द्वारा वादिनी की बहन को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हत्या किया गया था। अभियुक्ता के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. शाकरुन निशा पत्नी अहमद अली उर्फ छेदी निवासी बगुलही (प्रधानीगंज) थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-126/2023, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0अमरनाथ मय टीम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस -नोट
मीडिया सेल, गोण्डा
दिनांक 01.06.2023

ग्राहक सेवा केन्द्र से चोरी करने का शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नगदी व 02 अदद आधार कार्ड बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।
उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनाकं 06.01.2023 को थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा सुरागरसी- पतारसी कर मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0-290/2023, धारा 380 भादवि से सम्बन्धित नामजद चोर- दीनानाथ भट्ट को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की रूपये 1600/- नकदी, 02 अदद आधार कार्ड बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने ग्राहक सेवा केन्द्र के बने दराज में रखा कैश व 02 अदद आधार कार्ड चोरी कर लेकर भाग गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. दीनानाथ भट्ट पुत्र स्व0 रमेश कुमार भट्ट निवासी मोहल्ला गाडी बाजार कस्बा व थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अनावरण अभियोगः-
01. मु0अ0सं0-290/2023, धारा 380, 411 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. रूपये 1600/- नकदी बरामद
02. 02 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारकर्ता टीमः-
01. उ0नि0 आशीष कुमार मय टीम थाना करनैलगंज गोण्डा।

राहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 01.06.2023

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्ता व अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्ता विलकेश व अभियुक्त ननकुन्ने को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण ने थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था । जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विलकेश पत्नी सरदार उर्फ गुलाम रसूल निवासी ग्राम पूरे भोदर कस्बा खरगूपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. ननकुन्ने पुत्र दरोगा दर्जी उर्फ मो0 सिद्दीक निवासी ग्राम पूरे भोदर कस्बा खरगूपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 164/2022 धारा 363,366,323,504 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

उ0नि0 संतोष पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.06.2023

गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने मु0अ0सं0-246/2023, धारा 147, 148, 149, 304, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता- श्रीमती रामावती को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्ता ने दिनाकं 30.05.2023 को अपने सहयोगियों के साथ एक राय होकर पुरानी रंजीश को लेकर वादिनी के ससुर को मार-पीट कर घायल कर दिया था जिससे दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना वजीरगंज मे अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना वजीरगंज में विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता-
01. रामावती पत्नी भारत गोस्वामी निवासी ग्राम सोनवर्षा थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-246/2023, धारा 147, 148, 149, 304, 504, 506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-
उ0नि0 अनिल साहनी मय टीम थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.06.2023

रौब जमाने के लिए सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने वाला अभियुक्त तमंचा सहित गिरफ्तारः-

सोशल मीडिया पर थाना वजीरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत एक लड़के का अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह लड़का रौब जमाने के लिए असलहा का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा था। वायरल वीडियो का संज्ञान पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा लेते हुए तत्काल प्र0नि0 वजीरगंज को कार्यवाही कर अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने व उस अवैध तमंचे को बरामद करने के लिये कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त इन्द्रसेन चौहान उर्फ रितिक चौहान को मुखबिर खास की सूचना पर दुर्जनपुर पचुमी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इंद्रसेन चौहान उर्फ रितिक चौहान पुत्र रामदीन चौहान निवासी ग्राम सराय खत्री थाना वजीरगंज जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 249/23, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अवैध तमंचा 15 बोर।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 रामअवतार यादव मय टीम।